क्रमांक 5045-2 जी एस 1-76/22038

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

(1) हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मंडल अधिकारी।

(2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश।

दिनांक चण्डीगढ़ 17 अगस्त, 1976

विषय :— अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों विदेशी सरकारों के अधीन पदों पर राज्य सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति-विदेश नियुक्ति के दौरान उनके त्याग पत्र स्वीकार किये जाने के बारे में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आप को सम्बोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं विदेशी सरकारों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर इस कारण भेजा जाता है ताकि अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा विदेश में प्राप्त किए गए अनुभव का राज्य सरकार में सदुपयोग किया जा सके, परन्तु इस बारे में सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि कई बार विदेशी नियुक्ति के दौरान राज्य सरकार के अधिकारी कर्मकारी अपने सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं जिसे विभागों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इस बारे में ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि राज्य सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी विदेशी नियुक्ति के दौरान अपने पद से त्यागपत्र देता है तो उस के त्याग पत्र को स्वीकृत करने से पहले सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी को देश लौटकर पैतृक विभाग में अपने पद का कार्यभार सम्भालने के लिये कहा जाए तथा ऐसा किए जाने के बाद ही उसके त्यागपत्र को स्वीकार करने पर विचार किया जाए। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन हिदायतों के अनुसार किसी अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से रिटायर होने के उसके हक पर कोई रोक नहीं है, यदि वह स्वेच्छा से रिटायर होने का पात्र है।

2. आप से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त हिदायतों को अपने अधीन कार्य कर रहे सभी अधिकारियों के नोटिस में लाया जाए तथा इन हिदायतों का कठोरता से पालन किया जाए।

3. कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

हस्ता0/—

उप सचिव सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति—

वित्तायुक्त, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

को भेजी जाती है तथा अनुरोध किया जाता है कि उन से सम्बन्धित अर्ध-सरकारी संस्थाओं तथा अटानोमस बाडीज आदि को इसी प्रकार की हिदायतें जारी की जाएं।